प्रेस विज्ञप्ति

9.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड (सीसीपीएल) से संबंधित 9.94 करोड़ रुपये और पराग रमेशचंद्र गठानी से संबंधित 3.78 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि के रूप में अपराध की आय को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), गांधीनगर, गुजरात द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीसीपीएल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीसीपीएल द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से 75.53 करोड़ रुपये के टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी (टीईडी) रिफंड के धोखाधड़ीपूर्ण दावे के लिए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दिनांक 24.12.2021 को चार्जशीट संख्या 13 दायर की गई।

ईडी ने इससे पहले जनवरी 2021 में सीसीपीएल की 20.26 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की थी, जिससे इस मामले में कुल कुर्की 34 करोड़ रुपये (लगभग) हो गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।